स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड के सभी सदस्य

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ एवं हानि विवरण, उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य स्पष्टकारक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") में यथाअपेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यों की स्थिति, इसकी हानि, और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी' खंड में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों और उनके संबंध में दी गई लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट में शामिल की गई जानकारी सम्मिलित है, किंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उनके संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय में अन्य जानकारियां शामिल नहीं की गई हैं, और हम उनके संबंध में किसी भी प्रकार का आश्वस्त निष्कर्ष व्यक्त नही करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना और ऐसा करते हुए, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वस्तुतः स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से काफी अंसगत है अथवा हमारे द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी काफी गलत रूप में प्रस्तुत की गई प्रतीत होती है परामर्श लिया गया अथवा अन्यथा वस्तुतः मिथ्या प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी वस्तुतः मिथ्या है, तो हमारे द्वारा उस तथ्य की सूचना दी जानी आवश्यक है। इस संबंध में सूचित किए जाने हेतु हमारे पास कोई तथ्य नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उनकी जिम्मेदारी

इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य और निष्पक्ष मत प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करने; ऐसे निर्णय लेना और आकलन करना जो तर्कसंगत और विवेकसम्मत हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जिन्हें वित्तीय विवरणों का सत्य और स्पष्ट तथ्य प्रकट करने वाले और वस्तुतः मिथ्या जानकारी, चाहे वे धोखे से अथवा त्रुटिवश, न हो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा था को तैयार करने और रखरखाव करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में बने रहने, प्रगतिशील संस्था से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के लिए प्रगतिशील संस्थान के आधार का उपयोग करने में इसकी क्षमता के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल

कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन न रोकना चाहता हो अथवा ऐसा करने के सिवाय उनके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित हैं और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नहीं देता कि कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। महत्वपूर्ण गलतबयानी किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान हमने पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।

- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(I) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रगतिशील संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के

संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ-साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय-सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना दी है।

हम उन्हें, जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान किया कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में, लागू सीमा तक, एक विवरण "अनुलग्नक-I" में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में, हम कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच, जिसे हमने उचित समझा और जो हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार थी, के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक - II पर संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

    क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

    ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में संबोधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (खाता) नियमावली, 2014 की नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।

ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक 'क' पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अपने निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है अतः अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों की रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कि क्या अधिक भुगतान किया गया है, कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

ज) कंपनियां (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- कंपनी के विरूद्ध कोई मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।
- कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके संबंध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।
- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते भागी भारद्वाज गौर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007895 एन

सी.ए. भूपिंदर शाह
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 086869
स्थान : - नई दिल्ली
दिनांक: -

झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1 प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के अलावा, कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (i) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

2 कंपनी की कोई माल-सूची नहीं है; अतः, आदेश के पैरा 3 का खंड(ii) लागू नहीं होता है।

3 कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

4 हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के तहत यथाविनिर्दिष्ट, अपने निदेशक मंडल को और उनकी ओर से कोई ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी है और बनाए गए ऋणों के संबंध में कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों की अनुपालना की गई है।

5 हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत आम जनता से जमा स्वीकार नहीं किया है।

6 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत, कंपनी के किसी भी कार्यकलाप के लिए, केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः, आदेश के पैरा 3 के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

7 (क). कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर/जी.एस.टी., सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी समुचित प्राधिकरण की ओर से इस पर लागू अन्य किसी सांविधिक शुल्क सहित अविवादित सांविधिक देयताओं को नियमित तौर पर जमा किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक शुल्क, उनके देय होने की तारीख से छः माह की अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आयकर, सेवा कर/जी.एस.टी., सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवादित सांविधिक शुल्क देय नहीं है।

8 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर-धारक से कोई ऋण नहीं लिया गया है। अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (viii) लागू नहीं होता है।

9 कंपनी द्वारा अवधि के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर अथवा फर्दर पब्किल ऑफर (ऋण लिखत सहित) और मियादी ऋणों के जरिए कोई राशि एकत्रित नहीं की गई है अतः, आदेश के पैरा 3 का खंड (ix) लागू नहीं होता है।

10 संपादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अथवा कंपनी में उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी न तो पाई गई है या न ही सूचित की गई है।

11 हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 में विनिर्दष्टानुसार अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान /उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (xi) लागू नहीं होता है।

12 यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है अतः आदेश के पैरा 3 का चूक संबंधी खंड (xii) लागू नहीं होता है।

13 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किया गया लेन-देन व्यापार के सामान्य तरीके से निष्पक्ष आधार पर किया गया है और इसलिए, कंपनी पर अधिनियम की धारा 177 और 188 लागू नहीं होती है, तथापि, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, यथाअपेक्षित, वित्तीय विवरणों में ऐसे लेन-देन के ब्यौरों का प्रकटीकरण किया गया है।

14 कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का अधिमान्य आबंटन अथवा संस्थागत बिक्री नहीं की गई है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

15 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा निदेशकों अथवा इसके साथ संबंधित किन्हीं व्यक्तियों के साथ किसी नकदरहित लेन-देन में हिस्सा नहीं लिया गया है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16 कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कृते भागी भारद्वाज गौर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007895 एन

सी.ए. भूपिंदर शाह
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 086869

स्थान : - नई दिल्ली
दिनांक: -

अनुलग्नक-II

झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को जारी किए गए निर्देशों के संबंध में उत्तर
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

क्र.सं.	विवरण	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखा संबंधी लेन-देन को आई.टी. प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हां, तो आई.टी. प्रणाली से बाहर लेखा लेन-देनों को संसाधित करने में खातों की ईमानदारी संबंधी विवक्षाओं सहित वित्तीय विवक्षाएं, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	जी, हां।
2.	क्या ऋण को चुकाने की कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनःसंरचना अथवा कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का मामला तैयार किया गया है? यदि हां, वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट स्कीम के लिए प्राप्त की गई/प्राप्ति योग्य निधियों को उनकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित लेखा-जोखा तैयार किया गया/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों का उल्लेख करे।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त की गई/प्राप्त किए जाने योग्य कोई निधियां नहीं हैं, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

कृते भागी भारद्वाज गौर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007895 एन
सी.ए. भूपिंदर शाह
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 086869
स्थान : - नई दिल्ली
दिनांक: -

झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में सदर्भित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2019 के अनुसार झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड ("कम्पनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए हमारे द्वारा की गई कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ की गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशकमंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथाअपेक्षित कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित इसके व्यापार का सुव्यवस्थित और कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा था, को तैयार करना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना है। हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखा परीक्षा के संबंध में लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट ("मार्गदर्शी नोट") और भारत सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट समझे जाने वाले लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार है। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और कार्यान्वयन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण को सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी संचालनात्मक प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का संचालन शामिल है। हमारे द्वारा की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आंकलित किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाईन और संचालनात्मक प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतियों, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या किसी तरह की त्रुटि के कारण हो, के जोखिम के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं। .

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो सुसंगत विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निक्षेपण को शुद्ध और उचित रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन देती हैं कि लेनदेन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथाआवश्यक लेखबद्ध किया गया है; और कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग और निक्षेप की रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में सुसंगत आश्वासन प्रदान करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

सांठगांठ अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों के अधिरोहण सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के परिणामस्वरूप, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुतः मिथ्या तथ्य दिए जा सकते है और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का परियोजन इस जोखिम के अध्यधीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा कि नीतियों या प्रक्रियाओं की अनुपालना की स्थिति में कमी आ सकती है।.

राय

हमारी राय में,कंपनी में सभी भौतिक मामलों में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के

आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान थे और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित थे।

कृते भागी भारद्वाज गौर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007895 एन

सी.ए. भूपिंदर शाह
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 086869
स्थान : - नई दिल्ली
दिनांक: -

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड के खातों की लेखा-परीक्षा की है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप-निदेशों का पालन किया है।

कृते भागी भारद्वाज गौर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007895 एन

सी.ए. भूपिंदर शाह
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 086869
स्थान : - नई दिल्ली
दिनांक: -

ई.आर.पी. में खाता संख्या	ई.आर.पी. में विवरण	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
201201	इक्विटी शेयर पूंजी	देयता	5000	5000	5,000.00
201151	लाभ एवं हानि	देयता	-399	-399	(398.68)
206102	पी.एफ.सी. को प्रदेय ब्याज	देयता	1056	543	190.09
204105	व्यापार प्रदेय-अन्य	देयता	295	325	312.50
204152	पी.एफ.सी. को प्रदेय	देयता	0	3533	2,270.29
204153	पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय		1833.82	0	-
206104	पी.एफ.सी. को प्रदेय ब्याजगL		94.88	0	-
205410	धारा 194 ए के तहत टी.डी.एस./गैर कंपनी		11	0	-
			-	-	-

			-	-	-
			-	-	-
			-	-	0
			7,892	9,002	7,374

ई.आर.पी. में खाता संख्या	ई.आर.पी. में विवरण	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018
101403	प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) अन्य	4337	2388	701.99
104111	पी.एफ.सी. से वसूली योग्य	217	0	

				-
106212	एस.बी.आई. -35545530369	584	4,665.48	4,986.24
400101	परामर्श संबंधी व्यय	1134	637	867.12
402151	लेखापरीक्षा शुल्क	295	295	287.50
402153	व्यय की प्रतिपूर्ति	4	30	-
402403	ब्याज व्यय	618.9	353	189.66
404101	टेलीफोन संबंधी व्यय (परामर्शदाता)	1	0	48.57
404111	स्थानीय वाहन-व्यय प्रतिपूर्ति	1	2	-
404252	विधिक एवं फाइलिंग शुल्क	16	37	30.76
404321	कार्यालय रखरखाव	12	1	-
404324	शासकीय आतिथ्य सत्कार	63	12	-
404353	मुद्रण एवं स्टेशनरी	0	1	3.31
404354	आउटसोर्सिंग व्यय	216	324	

				-
404363	व्यावसायिक प्रभार	386	241	252.73
404604	डेबिट नोट पर कर	0	0	-
404701	वाहन किराया एवं संचालन व्यय	0	8	-
406103	बैंक प्रभार	6	8	6.33
	पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	0	0	-
		0	0	-
		7,892	9,002	7,374

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड
सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(I)	**परिसम्पत्तियां**				
(क)	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**				
	(क) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	4	7,090.73	4,336.51	2,387.96
	कुलगैर-चालू परिसम्पत्तियां		**7,090.73**	**4,336.51**	**2,387.96**
(ख)	**चालू परिसम्पत्तियां**				
	(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य	5	584.49	4,665.48	4,986.24
	(ख) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	6	216.57	-	-
	कुलचालू परिसम्पत्तियां		**801.06**	**4,665.48**	**4,986.24**

	कुलपरिसम्पत्तियां		**7,891.79**	**9,001.99**	**7,374.20**
(II)	**इक्विटी एवं देयताएं**				
(1)	**इक्विटी**				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	7	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	8	(398.68)	(398.68)	(398.68)
	कुलइक्विटी		**4,601.32**	**4,601.32**	**4,601.32**
(2)	**देयताएं**				
(क)	**गैर-चालू देयताएं**				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	(i) ऋण	9	1,056.23	4,076.17	2,460.38
	कुलगैर-चालू देयताएं		**1,056.23**	**4,076.17**	**2,460.38**
(ख)	**चालू देयताएं**				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	10	2,223.70	324.50	312.50
	(ख) अन्य चालू देयताएं	11	10.54	-	-
	कुलचालू देयताएं				

			2,234.24	**324.50**	**312.50**
	कुलइक्विटी एवं देयताएं		**7,891.79**	**9,001.99**	**7,374.20**

वित्तीयों विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें 1-26

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते भागी भारद्वाज गौर एवं
कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या :
007895एन

निदेशक मंडल की ओर से उन्हीं के लिए

भुवनेश गौर
साझेदार

सदस्यता संख्या 086869

योगेश जुनेजा
निदेशक
डी.आई.एन.:02912155

आलोक सूद
निदेशक
डी.आई.एन.:02394376

पी.के. सिंह
अध्यक्ष
डी.आई.एन.:03548218

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड

सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए

विवरण	**नोट सं.**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रचालनों से राजस्व		-	-
अन्य आय		-	-
कुल Inगomङ (I)		**-**	**-**
व्यय			
अन्य व्यय		-	-
कुलव्यय (II)		**-**	**-**
कर पूर्व लाभ(I- II =III)		**-**	**-**
कर व्यय: (IV)			
चालू कर			-
आस्थगित कर			-
कर उपरांत निवल लाभ(III - IV = V)		**-**	**-**
अन्य विस्तृत आय (VI)			
अवधि के लिए कुल विस्तृत आय(V + VI =VI)		**-**	**-**
प्रति इक्विटी शेयर आय: (VIII)			

आधारभूत और तनुकृत (10 रूपय प्रत्येक का सममूल्य)	24	-	-

वित्तीयों विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें 1-26

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते भागी भारद्वाज गौर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007895एन

निदेशक मंडल की ओर से उन्हीं के लिए

भुवनेश गौर
साझेदार
सदस्यता संख्या 086869

योगेश जुनेजा
निदेशक
डी.आई.एन.:02912155

आलोक सूद
निदेशक
डी.आई.एन.:02394376

पी.के. सिंह
अध्यक्ष
डी.आई.एन.:03548218

स्थानः नई दिल्ली
तारीख:

स्थानः नई दिल्ली
तारीख:

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड
सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	कर पूर्व निवल लाभ	-	-
	समायोजन:		
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	-	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :		
	- वृद्धि/(कमी) अन्य चालू वित्तीय देयताएं	1,804.32	12.00
	- वृद्धि/(कमी) अन्य चालू देयताएं	10.54	-
	- वृद्धि/(कमी) चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	(216.57)	-
	प्रचालन गतिविधियों से अर्जित नकद	**1,598.29**	**12.00**
	भुगतान किया गया आयकर	-	-
ख.	**प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद**	**1,598.29**	**12.00**
	निवेशी गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य की खरीद	(2,135.31)	(1,595.90)
	निवेशी गतिविधियों से निवल नकद	**(2,135.31)**	**(1,595.90)**

ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	उधारियों के लिए प्राप्ति	-	1,263.14
	ऋणों का पुनर्भुगतान	(3,533.43)	-
	संदत्त ब्याज	(10.54)	-
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	**(3,543.97)**	**1,263.14**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**(4,080.99)**	**(320.76)**
	वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**4,665.48**	**4,986.24**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट सं.5)	**584.49**	**4,665.48**
	को शामिल करते हुए:		
	बैंकों में अधिशेष		
	चालू खातों में	**584.49**	**4,665.48**
		-	**-**

वित्तीयों विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें 1-26

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते भागी भारद्वाज गौर एवं कंपनीनिदेशक मंडल की ओर से उन्हीं के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007895एन

भुवनेश गौर	**योगेश जुनेजा**	**आलोक सूद**	**पी.के. सिंह**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**अध्यक्ष**
	डी.आई.एन.:029		
सदस्यता संख्या 086869	**12155**	**डी.आई.एन.:02394376**	**डी.आई.एन.:03548218**

स्थान: नई दिल्लीस्थान: नई दिल्ली
तारीख:
तारीख:

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड
सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2017 को अधिशेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2018 को अधिशेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को अधिशेष	5,000.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	राशि
प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2017 को अधिशेष	(398.68)
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (वित्त वर्ष 2017-2018)	

31 मार्च, 2018 को अधिशेष	(398.68)
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (वित्त वर्ष 2018-2019)	
31 मार्च, 2019 को अधिशेष	(398.68)

वित्तीयों विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें 1-26

कृते भागी भारद्वाज गौर एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007895एन

भुवनेश गौर
साझेदार
सदस्यता संख्या 086869

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:

निदेशक मंडल की ओर से उन्हीं के लिए

योगेश जुनेजा	**आलोक सूद**	**पी.के. सिंह**
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**
डी.आई.एन.:02912155	**डी.आई.एन.:02394376**	**डी.आई.एन.:03548218**

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड

सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट

सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए

1 निगमितजानकारी

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड("कंपनी") को कंपनीअधिनियम, 1956 के तहत पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकारका एक उपक्रम, की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में दिनांक 10 दिसम्बर, 2015में निगमित किया गया था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 में स्थित है। जिसका निगमन झारखंड राज्य में तिलिया अतिविस्तृत (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि के साथ कैप्टिव कोल ब्लॉक भूमि केअधिग्रहण के लिए किया गया था।

2 निर्मिति काआधार

2.1 अनुपालना का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को परंपरागत लागत और लेखांकन केप्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ("इंड ए.एस." के रूप मेंसंदर्भित) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार हैं। ये कंपनीके प्रथम इंड ए.एस. वित्तीय विवरण हैं। इंड ए.एस. में संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल, 2017 तक है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक अपने वित्तीय विवरण पूर्व में लागू जी.ए.ए.पी. कीअपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए थे, जिनमें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठितकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 (पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.)के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक, लागू सीमा तक, और कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रस्तुतीकरण अपेक्षाएं शामिलथीं।पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः 14 मई, 2018 और 9 मई, 2017 को अनुमोदित कर दिया गया था।

र कंपनी ने संक्रमण की तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार अपनी इंड ए.एस. तुलनपत्र को तैयार करने में, इंड ए.एस. 101 (भारतीय लेखांकन मानक

को प्रथम बार अपनाया जाना) के प्रावधानों का अनुसरण किया है। इंड ए.एस. 101 के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार पूर्वर्ती जी.ए.ए.पी. और इंड ए.एस. के तहत इक्विटी शेयरधारिता और 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. के तहत कर उपरांत लाभ और इंड ए.एस. के तहत कुल विस्तृत आय का समामेलन प्रस्तुत किया है, नोट 28 का संदर्भ लें। वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों को निकटतम सौ में, अन्यथा उल्लेखित को छोड़कर, समाप्त किया गया है।

कंपनी के वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया गया है जो कि कार्यशील मुद्रा है।

2.2 पृथक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने का आधार

जैसा कि नीचे लेखांकन नीति में उल्लिखित किया गया है प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कुछेक वित्तीय लिखतों, जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर कियाजाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को परंपरागत लागत पर तैयार किया गया है।

परंपरागत लागत सामान्यतः वस्तुओँ और सेवाओं के विनिमय में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

उचित मूल्यवह मूल्य है जो मूल्यांकन तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच किसी व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसम्पत्ति की बिक्री करने के लिए प्राप्त किया जाएगा अथवा किसी देयता के अंतरण के लिए भुगतान किया गया हो, चाहे वह कीमत किसी अन्य अस्थिर तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य अथवा अनुमानित न हो।किसी परिसम्पत्ति अथवा किसी देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी उस परिसम्पत्ति अथवा देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है कि क्या बाजार प्रतिभागी मूल्यांकन की तारीख को परिसम्पत्ति अथवा देयता का मूल्यांकन करते समय उन विशेषताओँ को ध्यान में रखेंगे। इन वित्तीय विवरणों में मूल्यांकन अथवा/और प्रकटन के उद्देश्य सेउचित मूल्य का निर्धारण, इंड ए.एस. 17 'लीजेज' की परिधि के भीतर के लीजिंग लेन-देन और इंड ए.एस. 2 में निवल वसूली योग्य मूल्य अथवा इंड ए.एस. 36 'परिसम्पत्तियों का विकृत होना' में उपयोग किए गए मूल्य जैसे उचित मूल्य के समरूप मूल्यांकन जो कि उचित मूल्य नही है, को छोड़कर उस आधार पर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, उचित मूल्यों के मूल्यांकन को, उस डिग्री जिसके लिए उचित मूल्यों का मूल्यांकन के संबंध में इनपुट ध्यान देने योग्य हो और इसकी समग्रता में उचित मूल्यों के मूल्यांकन के संबंध में इनपुट का महत्व हो, के आधार पर स्तर 1, 2 अथवा 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

- स्तर 1 समरूप परिसम्पत्तियों और देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में इनपुट कीमतें (असमायोजित) उद्धृत करते हों, जिन्हें संस्था मूल्यांकन की तारीख को देख सके;

- स्तर 2 इनपुट, स्तर 1 में शामिल की गई उद्धृत कीमतों के अलावा ऐसे इनपुट हो जो या तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परिसम्पत्ति और देयता के लिए ध्यान देने योग्य हो; और

- स्तर 3 इनपुट, परिसम्पत्ति अथवा देयता के लिए ध्यान देने योग्य इनपुट न हों।

2.3 मूल्यांकन का आधार

इन वित्तीय विवरणों को एक प्रगतिशील संस्था के आधार पर परंपरागत लागत रीति और लेखांकन की प्रोदभवन पद्धति का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।

2.4 चालू और गैर-चालू संबंधी वर्गीकरण

कंपनी, तुलनपत्र में परिसम्पत्तियों और देयताओं को चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती हैः कोई परिसम्पत्ति, चालू परिसम्पत्ति मानी जाती है जब उसके:

सामान्य प्रचालन अवधि में मूल्य वसूला जाना अपेक्षित हो अथवा विक्रय या उपयोग किया जाना आशयित हो

▶ मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो

▶ रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात्, बारह माह की अवधि के भीतर मूल्य वसूला जाना अपेक्षित हो, अथवा

▶ नकदी अथवा नकदी समतुल्य हो जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात्, कम-से-कम बारह माह के लिए किसी देयता के लिए एक्सचेंज किए जाने अथवा निपटाए जाने के लिए प्रतिबंधित न किया गया हो

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देयता को चालू देयता माना जाता है जब उसका:

- सामान्य प्रचालन अवधि में निपटान किया जाना अपेक्षित हो
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात्, बारह माह की अवधि के भीतर निपटान किया जाना हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात्, कम-से-कम बारह माह के लिएदेयता के निपटान के आस्थगन के लिए कोई शर्तरहित अधिकार न हो

चालू परिसम्पत्तियों/देयताओं में क्रमशः गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों/देयताओं का चालू भाग शामिल होता है। अन्य सभी परिसम्पत्तियों/ देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्थगित करपरिसम्पत्तियों और देयताओ को गैर-चालू परिसम्पत्तियोंऔरदेयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन अवधि, किसी परिसम्पत्तियों को प्रक्रियारत करने के लिए उसका अधिग्रहण और उनके नकदी एवं नकदी समतुल्य में मूल्य वसूले जाने के बीच का समय है। कंपनी ने 12 माह की अवधि को अपनी प्रचालन अवधि के रूप में निर्धारित किया है।

3.12. अनुमान अनिश्चितताओं के मुख्य स्रोत

(क) **कर**

जटिल कर विनियमों, कर कानूनों में परिवर्तनों और भावी कराधीन आय की राशि और समय के इंटरप्रेटेशन के संबंध में अनिश्चितताएं होती है। व्यापार संबंधों की व्यापक रेंज और मौजूदा संविदात्मक समझौते की दीर्घकालिक प्रकृति और जटिलता के परिप्रेक्ष्य में, वास्तविक परिणामों और की गई कल्पना अथवा ऐसी कल्पनाओं में भावी परिवर्तन के बीच उत्पन्न हुए अंतर, पहले से लेखबद्ध कर आय और व्यय के भावी समायोजन के लिए विवश कर सकते हैं। कंपनी तर्कसंगत अनुमानों के आधार पर प्रावधान करती है। इंटरप्रेटेशन के ऐसे अंतर, कंपनी के संबंधित क्षेत्र में मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित मुद्दों की व्यापक प्रकृति के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

(ख) **वित्तीय परिसम्पत्तियों का विकृत होना**

वित्तीय परिसम्पत्तियों का विकृत होने का प्रावधान, चूक अथवा अनुमानित हानि दर के जोखिमों के बारे में कल्पनाओं पर आधारित होता है। कंपनी इन कल्पनाओं को तैयार करने और विकृति की गणना के इनपुट का चयन करने के लिए, कंपनी की विगत स्थिति, मौजूदा बाजार परिस्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों के बारे में भावी सोच संबंधी निर्णयों का उपयोग करती हैं।

(ग) **गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों का विकृत होना**

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर यह मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसे कोई संकेत है कि कोई परिसम्पत्ति विकृत हो सकती है। यदि ऐसे संकेत मिलते हैं अथवा जब कभी किसी परिसम्पत्ति का वार्षिक परीक्षण आवश्यक होता है तो कंपनी उस परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि उस परिसम्पत्ति के सी.जी.यू. के उचित मूल्य में से उसके निपटान की लागत और उसका उपयोगरत मूल्य घटाकर प्राप्त राशि की तुलना में अधिक होती है। इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसम्पत्ति के लिए किया जाता है जब तक कि परिसम्पत्ति ऐसे नकदी अंतर्वाह का सृजन नहीं करती है जो अन्य परिसम्पत्तियों अथवा कंपनी की परिसम्पत्तियों के नकदी अंतर्वाह सृजन से पूर्णतः स्वतंत्र हो। जब किसी परिसम्पत्ति की वहन राशि अथवा सी.जी.यू. इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता हैतो परिसम्पत्ति को विकृत मान लिया जाता है और इसे इसकी वसूली योग्य राशि में प्रतिलेखित कर दिया जाता है।

उपयोगरत मूल्य के मूल्यांकन के लिए, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को एक पूर्व-कर छूट दर, जो धन के समय आकलन में चालू बाजार मूल्याकंन और परिसम्पत्ति के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है, का उपयोग करते हुए, इसके वर्तमान मूल्य से छूट दी जाती है। उचित मूल्य में से निपटान की लागत कम करने का निर्धारण करने के लिए, विगत बाजार लेन-देनों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसा कोई लेन-देन नहीं पाया जाता है तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओँ की पुष्टि मूल्यांकन गणक अथवा अन्य उचित मूल्य सूचकों के जरिए की जाती है।

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड
सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट
सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए

4. प्रगति पर पूंजीगत कार्य

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरम्भ में	4,336.51	2,387.96	2387.96
जोड़े:निर्माण अवधि के दौरान व्यय (नोट 12देखें)	2,754.22	1,948.55	-
	7,090.73	**4,336.51**	**2,387.96**

5. नकदी एवं नकदी समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
बैंक में अधिशेष			
चालू खाते में	584.49	4,665.48	4,986.24
	584.49	**4,665.48**	**4,986.24**

6. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2019 की	31 मार्च, 2018 की	1 अप्रैल, 2017 की

	स्थिति के अनुसार	स्थिति के अनुसार	स्थिति के अनुसार
पूर्वदत्त व्यय	216.57	-	-
	216.57	**-**	**-**

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड
सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट
सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा
उल्लेख न किया जाए

7. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
अधिकृत पूंजी			
प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000; 1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
निर्गत, सब्सक्राईब और संदत्त			
प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000; 1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000)			
पूर्णतः संदत्त	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	5,000.00	**5,000.00**	**5,000.00**

(i) वर्ष के आरम्भ और अंत मेंबकाया शेयरों की संख्या का समामेलन::

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	राशि	धारित शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरम्भ में बकाया शेयर	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00

(ii) इक्विटी शेयरसे संबद्ध अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास 10 रूपये प्रति शेयर सम मूल्य के इक्विटी शेयरों कीएक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक उसके द्वारा धारित प्रति शेयर के अनुसार एक वोट देनेका पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले कोछोड़कर, आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।सम्पत्ति के मामले में, इक्विटीशेयरधारक सभी प्राथमिक राशियों के वितरण के पश्चात् कंपनी की शेष परिसम्पत्तियोंको उनके द्वारा धारित शेयर के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार हैं।

(iii) धारक कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण:

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50,000	5,000.00
31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50,000	5,000.00
31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार		
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50,000	5,000.00

(iv) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येकशेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों की सं	%	धारित शेयरों की संख्या	%	धारित शेयरों की संख्या	%

	ख्या					
पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%

नोट: इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा और इसके नामित्तियों के माध्यम से धारित हैं.

8. अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
प्रतिधारित आय			
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष	(398.68)	(398.68)	(398.68)
जोड़े: वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय	-	-	-
वर्ष के अंत में अधिशेष	**(398.68)**	**(398.68)**	**(398.68)**

9. ऋण (गैर चालू)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूतपरिशोधित लागत पर लाई गई		
संबंधित पक्षों से	1,056.23	4,076.17

	1,056.23	**4,076.17**

नोट:31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, 1056.23 रूपये (सैकड़े में);31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार 542.74 रूपये (सैकड़े में); और 1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार, 190.09 रूपये (सैकड़े मे) का प्रोदभूत ब्याज शामिल।

10. अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018तक की स्थिति के अनुसार**
परिशोधित लागत पर		
देय व्यय	295.00	324.50
पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय (ब्याज सहित)	1,928.70	-
	2,223.70	**324.50**

11. अन्य चालू देयताएं

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018तक की स्थिति के अनुसार**
सांविधिक देय	10.54	-
	10.54	**-**

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड
सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट
सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए

12. अन्य व्यय (वर्ष के दौरान पूंजीकृत)

विवरण		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्श प्रभार		1,520.41	878.51
बैंक प्रभार		6.49	8.26
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क		16.00	37.20
ब्याज व्यय			
पी.एफ.सी.सी.एल.	105.42		
पी.एफ.सी.	513.49	618.91	352.65
लेखापरीक्षा शुल्क		295.00	295.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		297.41	376.93
प्रगति पर पूंजीगत कार्य को अंतरित कुल व्यय		**2,754.22**	**1,948.55**

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड
सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में नोट
सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए

13.क पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में निर्गत इक्विटी पूंजी और कंपनी के शेयरधारकों से संबंधित अन्य सभी इक्विटी आरक्षिती को शामिल कियाजाता है। पूंजी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य, कंपनी के एक प्रगतिशील संस्थान के रूप में बने रहने और शेयरधारित मूल्य को बढ़ाने का है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन, वार्षिक प्रचालन योजना और दीर्घकालिक एवं अन्य कार्यनीतिक निवेश योजना के परिप्रेक्ष्य में समायोजन करती है। पूंजी संरचना के रखरखाव और समायोजन के उद्देश्य से, कंपनी शेयरधारकों को संदत्त लाभांश की राशि का समायोजन, शेयरधारकों को पूंजी वापिस अथवा नए शेयरों को निर्गत कर सकती है। कंपनी की चालू पूंजी संरचना, ऋणों के माध्यम से इक्विटी आधारित वित्तपोषण की है। अति विशाल (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए व्यय को पूरा करने के लिए निधियन अपेक्षाओ को ऋणों से वित्तपोषण के माध्यम से पूरा किया जाता है।कंपनी बाह्य रूप से अधिरोपित किन्हीं पूंजी अपेक्षाओं के अध्यधीन नहीं है।

31 मार्च, 2019, 31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नही किया गया था।

13.ख वित्तीय लिखत

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

यह खंड कंपनी के लिए वित्तीय लिखित के महत्व का विवरण और तुलनपत्र के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। वित्तीय परिसम्पत्तियों, वित्तीय देयताओं और इक्विटी लिखित की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में मान्यता के मानदंड, मूल्यांकन के आधार और आय तथा व्यय की मान्यता के आधार सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का विवरण नोट 2 और नोट 3 में प्रकट किया गया है।

वित्तीय परिसम्पत्तियांऔरदेयताएं:

वित्तीय लिखत, और उनकी वहन राशि की प्रत्येक श्रेणी का लेखा वर्गीकरण नीचे दिया गया हैः

31 मार्च, 2019	**एफ.वी.टी.पी.एल.**	**एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.**	**परिशोधित लागत**	**कुल वहन मूल्य**	**कुलउचित मूल्य**
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	584.49	584.49	584.49
कुल	-	-	584.49	584.49	584.49
वित्तीय देयताएं					
ऋण	-	-	1,056.23	1,056.23	1,056.23
अन्य	-	-	2,223.70	2,223.70	2,223.70
कुल	-	-	3,279.93	3,279.93	3,279.93

31 मार्च, 2018	**एफ.वी.टी.पी.एल.**	**एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.**	**परिशोधित लागत**	**कुल वहन मूल्य**	**कुलउचित मूल्य**

वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	4,665.48	4,665.48	4,665.48
कुल	-	-	4,665.48	- 4,665.48	4,665.48
वित्तीय देयताएं					
ऋण	-	-	4,076.17	4,076.17	4,076.17
अन्य	-	-	324.50	324.50	324.50
कुल	-	-	4,400.67	4,400.67	4,400.67

1 अप्रैल, 2017	**एफ.वी.टी.पी.एल.**	**एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.**	**परिशोधित लागत**	**कुल वहन मूल्य**	**कुलउचित मूल्य**
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	4,986.24	4,986.24	4,986.24
कुल	-	-	4,986.24	4,986.24	- 4,986.24
वित्तीय देयताएं					
ऋण	-	-			

अन्य	-	-	2,460.38 312.50	2,460.38 312.50	2,460.38 312.50
कुल	-	-	2,772.88	2,772.88	2,772.88

उचित मूल्यमूल्यांकन

कंपनी की वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के उचित मूल्यको उचित मूल्य के आवर्ती आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य सहित उचित मूल्य अनुक्रम में उनके स्तरों को नीचे दर्शाया गया है। इसमें, यदि वहन राशि उचित मूल्य के संगत सन्निकट है तो उचित मूल्य पर मूल्यांकित न की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य की जानकारी शामिल नही है।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 –समरूप परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 - स्तर 1 में शामिल की गई उद्धृत कीमतों के अलावा ऐसे इनपुट हो जो या तो प्रत्यक्ष (अर्थात मूल्य रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (अर्थात् मूल्यों से निकाले गए) रूप से परिसम्पत्ति और देयता के लिए ध्यान देने योग्य हो; और

स्तर 3 - परिसम्पत्ति अथवा देयता के लिए इनपुट जो ध्यान देने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है (ध्यान न देने योग्य इनपुट)

वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का ऐसा उचित मूल्य जिसका मूल्यांकन उचित मूल्य परन हीं किया जाता है (किंतु उचित मूल्यका प्रकटन आवश्यक हो)

प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की वहन राशि उनके उचित मूल्य के सन्निकट है।

जोखिम प्रबंधन लक्ष्य

कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी की समग्र जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतितों की स्थापना, उपयुक्त जोखिम सीमा और नियंत्रण निर्धारित करने और उन सीमाओं के जोखिम और अनुपालना की निगरानी करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों के अभिनिर्धारण और विश्लेषण के लिए की जाती है। बाजार परिस्थितियों और कंपनी की गतिविधियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों की आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है। कंपनी अपने प्रशिक्षण, मानकों और प्रक्रियाओं के माध्यम से एक ऐसे अनुशासित और रचनात्मक नियंत्रण परिवेश का रखरखाव करना लक्षित करती है जिसमें सभी कर्मचारी अपनी भूमिका और दायित्वों को समझे।

बोर्ड यह निगरानी करता है कि प्रबंधन, कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी किस प्रकार करता है और कंपनी द्वारा उठाए गए जोखिमों के संबंध में जोखिम प्रबंधन ढांचे की पर्यापत्ता की पुनरीक्षा करता है।

वित्तीय जोखिम

कंपनी के बोर्ड ने, सम्पत्ति, मुद्रा, ब्याज दर और प्रतिपक्ष जोखिम को शामिल करते हुए, वित्तीय जोखिम नीतियों को अनुमोदित किया है।यह समूह अव्यवहार्य कोषागार गतिविधियों में संलग्न नहीं है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अर्थ ऐसे जोखिम से है जब प्रतिपक्ष द्वारा उसके संविदात्मक दायित्वों में चूक के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि हो। कंपनी ने केवल विश्वसनीय प्रतिपक्षों के साथ व्यापार करने और जहां उपयुक्त हो, चूक से वित्तीय हानियों के जोखिम को करने के लिए पर्याप्त समपार्श्व प्राप्त करने की नीति को अपनाया है। कंपनी, बकाया अधिशेष की पुनरीक्षा और कालप्रभावन के जरिए इसकी प्रतिपक्षी सीमाओं की नियमित निगरानी करती है।

संभाव्य क्रेडिट जोखिम	**क्रेडिट जोखिम प्रबंधन**
बैंक अधिशेष से संबंधित क्रेडिट जोखिम	कंपनी अपना बैंक अधिशेष प्रत्येक बैंक के लिए अनुमोदित संवेदनशीलता सीमा के भीतर प्रख्यात और विश्वसनीय बैंकिंग सस्थानों के पास रखती है। बैंकों में सावधि जमाओं सहित कंपनी के नकदी समतुल्य में से कोई भी पूर्व देय अथवा विकृत नहीं है।

नकदी के अलावा, वित्तीय परिसम्पत्तियों की वहन राशि प्रस्तुत अधिकतम क्रेडिट संवेदनशीलता प्रस्तुत करती है। क्रेडिट जोखिम के प्रति कंपनी की अधिकतम संवेदनशीलता 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, 584.49 रूपये (सैकड़े में), 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 4665.48 रूपये (सैकड़े में) और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार, 4986.24 रूपये (सैकड़े में) है।

ख) सम्पत्ति

सम्पत्ति जोखिम, वह जोखिम है जिन्हें कंपनी की उन वित्तीय देयताओं जिनका निपटान नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रदायगी के जरिए किया जाता है से संबंधित बाध्यताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई होगी।सम्पत्ति के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि इसके पास इसकी देयताओं, जब वे देय हो, को सामान्य और दवाबग्रस्त दोनों परिस्थितियों में कंपनी की प्रतिष्ठा को अस्वीकार्य हानि अथवा जोखिमपूर्ण क्षति किए बिना पूरा करने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति होगी।

कंपनी अपनी अधिक निधियों को बैंकों में सावधि जमा और उच्चतर नकदी वाले म्यूचुअल फंड्स के रूप में निवेश करती है, जिनमें बाजार जोखिम कम होता है/नहीं होता है। कंपनी वित्तीय लोच के अनुरक्षण के उद्देश्य से ऋण और पूंजी बाजारों में उपलब्ध निधियन विकल्पों की निगरानी करती है। कंपनी को मुख्य रूप से विकास परियोजनाओं में, अल्पावधि प्रचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घावधि निवेश कार्यक्रम, दोनों, के लिए निधियों की आवश्यकता होती है। कंपनी चालू प्रचालनों के माध्यम से पर्याप्त नकदी प्रवाह का सृजन करती है जो उपलब्ध नकदी एवं नकदी समतुल्य और अल्पावधि निवेश के साथ अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में नकदी प्रदान करते हैं।

31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार					
वित्तीय देयताएं	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-5 वर्ष**	**5 वर्ष से अधिक**	**कुल**
ऋण	-	-	1,056.23	-	1,056.23
अन्य वित्तीय देयताएं	2,223.70	-	-	-	2,223.70

					-
कुल	**2,223.70**	**-**	**1,056.23**	**-**	**3,279.93**

31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार					
वित्तीय देयताएं	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-5 वर्ष**	**5 वर्ष से अधिक**	**कुल**
ऋण		-	4,076.17	-	4,076.17
अन्य वित्तीय देयताएं	324.50	-	-	-	324.50 -
कुल	**324.50**	**-**	**4,076.17**	**-**	**4,400.67**

1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार					
वित्तीय देयताएं	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-5 वर्ष**	**5 वर्ष से अधिक**	**कुल**
ऋण	-	-	2,460.38	-	2,460.38
अन्य वित्तीय देयताएं	312.50	-	-	-	312.50

					-
कुल	**312.50**	**-**	**2,460.38**	**-**	**2,772.88**

ग) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी की वित्तीय परिसम्पत्तियों की संवेदनशीलता निम्नानुसार हैः

	की स्थिति के अनुसार	**कुल**	**अस्थिर दर की वित्तीय परिसम्पत्तियां**	**निर्धारित दर की वित्तीय परिसम्पत्तियां**	**ब्याज रहित वित्तीय परिसम्पत्तियां**
वित्तीयपरिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2019	584.49	-	-	584.49
वित्तीयपरिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2018	4,665.48	-	-	4,665.48
वित्तीयपरिसम्पत्तियां	1 अप्रैल, 2017	4,986.24	-	-	4,986.24

ब्याज दर जोखिम के प्रति कंपनी की वित्तीय देयताओं संवेदनशीलता निम्नानुसार हैः:

	की स्थिति के अनुसार	**कुल**	**अस्थिर दर की वित्तीय देयताएं**	**निर्धारित दर की वित्तीय देयताएं**	**ब्याज रहित वित्तीय देयताएं**
वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2019	3,279.93	1,056.23	-	2,223.70
वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2018	4,400.67		-	

			4,076.17		324.50
वित्तीय देयताएं	1 अप्रैल, 2017	2,772.88		-	
			2,460.38		312.50

अस्थिर दर की वित्तीय देयताओं की औसत ब्याज दर 12.90% प्रति वर्ष है।

घ) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिमहै जो कंपनी की आय अथवा इसकी वित्तीय लिखत की संपत्ति के मूल्य को बाजार कीमतों मेंपरिवर्तन– जैसे ब्याज दर और इक्विटी मूल्य,के कारण प्रभावित करेगा।बाजार जोखिम, सभी वित्तीय लिखित संवेदी बाजार जोखिमों सहित विदेशी मुद्रा प्राप्य और भुगतेय से संबंधित होते हैं। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के प्रति संवेदनशील नहीं है क्योंकि कंपनी के प्रचालन भारत में सीमित है। कंपनी बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है।

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड
सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए

14. संबंधित पक्षों से लेन-देन का विवरण

14.1. संबंधित पक्षों का नाम एवं संबंधों का विवरण :

क्रम सं.	**संबंधित पक्ष का नाम**	**संबंध की प्रकृति**
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	साथी सहायक संस्था

14.2. लेन-देन का विवरण:

14.2.1. संबंधित पक्ष से लेन-देन

विवरण	**धारक कंपनी**		**साथी सहायक संस्था**	
	31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	**31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष**	**31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**	**31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष**
क. संदत्त ब्याज				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	513.49	352.65	-	-

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	-	-	105.42	-
ख. लिए गए ऋण				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	1,263.14	-	-
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	-	-	1,833.82	-
ग. ऋणों का पुनर्भुगतान				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,533.43	-	-	-
घ. संदत्त प्रतिपूर्ति				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	216.57	-	-	-

14.2.2 संबंधित पक्षों के साथ बकाया अधिशेष:

विवरण	**धारक कंपनी**			**साथी सहायक संस्था**		
	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**
क. ऋण						
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,056.23	4,076.17	2,460.38	-	-	-

ख.भुगतेय						
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	-	-	-	1,928.70	-	-
ग. पूर्वदत्त व्यय						
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	216.57	-	-	-	-	-

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का पारितोषिक:

कंपनी के कर्माचारी, धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) के साथ किए गए समझौते के अनुसार संविदात्मक शर्तों के आधार पर है। निदेशकों को किसी भी बैठक शुल्क के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड
सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा
उल्लेख न किया जाए

15.परियोजना के विकास पर व्यय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड/पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा वहन किया गया था। कंपनी, कंपनी की ओर से वहन किए गए व्यय पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड/पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को ब्याज का भुगतान करती है। इस प्रकार भुगतेय ब्याज प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत पूंजीकृत किया जाता है। निधियों की प्रयुक्त राशि पर प्रभारित/भुगतान किया गया ब्याज समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार श्रेणी में राज्य सेक्टर लेनदार श्रेणी 'क' के तहत लेनदारों के लिए परियोजना ऋण/स्कीमों (सृजन) के लिए पीएफसी में लागू है। 618.91/- (सैकड़े में) की ब्याज की कुल राशि (गत वर्ष 352.65/- (सैकड़े में) को लेखा बहियों में चढ़ा दिया गया है। ब्याज को चल रहे पूंजी कार्य में पूंजीगत कर दिया गया है पीएफसी द्वारा भुगतेयब्याज को ऋण (गैर चालू) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड भुगतेय ब्याज को अन्य वित्तीय देयताओं (चालू) में दर्शाया गया है।

16.व्यय, मुख्य रूप से पी.एफ.सी.एल./पी.एफ.सी.सी.एल. द्वारा एसपीवी को आवंटित किए जाते हैं एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100% आधार पर आवंटित किए जाते हैं और विभिन्न एसपीवी के बीच सेवाओं की साझेदारी के आधार पर सामान्य व्यय का आवंटन किया जाता है पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए व्यय के संबंध में मूल समर्थनकारी बिल पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास होती हैं पीएफसीएल/पीएफसीसीएल इन व्ययों पर लागू स्रोत पर कटौती और जीएसटी से जुड़े सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं।

17. कर्मचारी लाभ योजना

चूंकि कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है , अतः इंड ए.एस.-19 के अनुसार दायित्व लागू नहीं होते हैं।

18. प्रतिबद्धताएं:

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**

	के अनुसार	अनुसार	
(क) पूंजीगत खातों के संबंध में कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल):	-	-	-
अन्य प्रतिबद्धताएं	-	-	-

19.आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
कंपनी की आकस्मिक देयताएं और कंपनी के विरूद्ध दावों को कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है जैसा की अवधि के लिए प्रबंधन ने प्रमाणित किया है।	-	-	-
इसके अलावा, कंपनी को कोई आकस्मिक परिसम्पत्तियां और आकस्मिक लाभ की संभावना नहीं है।	-	-	-

20.कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम") के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय का विवरण,

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(क) लेखांकन अवधि के अंत में किसी आपूर्ति कर्ता को अदत्त मूल राशि और उन पर देय ब्याज का शेष	-	-	-

(ख) लेखांकन अवधि के दौरान नियुक्त दिन के बाद आपूर्तिकरता को भुगतान की गई राशि सहित एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की राशि	-	-	-
(ग) भुगतान में की गई देरी की अवधि के लिए देय और भुगतेय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान अवधि के दौरान नियुक्त दिन के बाद किया गया) किंतु एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-	-
(घ) लेखांकन अवधि के अंत में प्रोदभूत और अदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-	-
(ङ) एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अनुमति न देने के उद्देश्य से, अनुवर्ती वर्षों में भी, उस तारीख तक जिसे उपरोक्त देय ब्याज को लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान कर दिया गया, देय और भुगतेय शेष अतिरिक्त ब्याज की राशि	-	-	-

21. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
सांविधिक लेखा परीक्षाशुल्क	295.00	295.00
व्यय की प्रतिपूर्ति	-	29.50
	295.00	**324.50**

22. खंडीय जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल जिसे प्रचालन संबंधी प्रमुख नीति नियंता (सी ओ डी एस) माना जाता है कंपनी के निष्पादन का आकलन करता है और कंपनी के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधन आवंटित करता है। कंपनी का निगमन मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किया गया है और वर्तमान में यह विद्युत संयंत्र स्थापित करने में संलग्न है और कंपनी की सभी गतिविधियां एकल इकाई के रूप में इस मुख्य व्यापार के इर्द-गिर्द घूमती हैं इसके अतिरिक्त कोई भौगोलिक खंड नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत में हैं इसलिए इंड एस 108 "प्रचालन खंड" के अनुसार कंपनी द्वारा अलग से रिपोर्ट करने के लिए कोई खंड नहीं है।

23. अन्य प्रकटन:

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय- शून्य

(ख) विदेशी विनियम में आय- शून्य

24. प्रति शेयर आय

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष**
आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय		
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10
शेयरधारकों से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर उपरांत निवल लाभ/(हानि)	-	-
आधारभूत ई.पी.एस. की गणना के लिए सूचक के रूप में उपयोग की गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	50,000	50,000
आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय	-	-

25. इंड ए.एस. को पहली बार अपनाया जाना।

कंपनी के ये वित्तीय विवरण, प्रथम बार इंड ए.एस. के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरण हैं। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और 1 अप्रैल, 2017 (कंपनी के संक्रमण की तारीख) की स्थिति के अनुसार प्रथम इंड ए.एस. तुलन पत्र तैयार करने के लिए नोट संख्या 3 में उल्लिखित लेखांकन नीतियां लागू की गई हैं। 31 मार्च, 2018 सहित तथा इस तारीख तक की सभी अवधि के लिए, कंपनी ने इसके वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार और कंपनी (लेखाः नियम, 2014 की धारा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत यथा अधिसूचित लेखांकन मानकों (पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. अथवा आई.जी.ए.ए.पी.), को लागू सीमा तक और कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रस्तुतीकरण अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया था।
इंड ए.एस. का संक्रमण, 1 अप्रैल, 2017, संक्रमण की तारीख होने के नाते, से इंड ए.एस. 101 के अनुसार किया गया था। यह नोट इंड ए.एस. 101 के अनुसार पहली बार इंड ए.एस. को अपनाए जाने के संबंध में ली गई छूटों का विवरण प्रदान करता है और यह विवरण प्रदान करता है कि किस प्रकार पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. से इंड ए.एस. में संक्रमण होने के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह प्रभावित हुए।.

25.क इंड ए.एस. और पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. के बीच अन्य इक्विटी का समामेलनः

विवरण	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
आई.जी.ए.ए.पी. के तहत यथासंसूचित अन्य इक्विटी	(398.68)	(398.68)
इंड ए.एस. में संक्रमण के कारण समायोजन		
इक्विटी पर कुल प्रभाव	**-**	**-**
इंड ए.एस. के तहत यथासंसूचित अन्य इक्विटी	**(398.68)**	**(398.68)**

25.ख 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार निवल लाभ और इंड ए.एस. के अनुसार कुल विस्तृत आय का समामेलन

विवरण	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	समायोजन	इंड ए.एस.

प्रचालनों से राजस्व	-	-	-
अन्य आय	-	-	-
कुल राजस्व (I)	**-**	**-**	**-**
व्यय			
अन्य व्यय	-	-	-
कुलव्यय ((II)	**-**	**-**	**-**
कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)	**-**	**-**	**-**
कर व्यय:			
(1) चालू कर	-	-	-
(2) आस्थगित कर	-	-	-
कुलकर व्यय	**-**	**-**	**-**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	**-**	**-**	**-**

25.ग 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समामेलन: -

विवरण	**पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.**	**इंड ए.एस.में संक्रमण के कारणसमायोजन**	**इंड ए.एस.**
प्रचालन गतिविधियो से निवल नकदी प्रवाह	12.00	-	12.00

निवेशी गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नकद	(1,595.90)	-	(1,595.90)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह	1,263.14	-	1,263.14
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	**(320.76)**	**-**	**(320.76)**
जोड़े: वित्तीय वर्ष के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य	4,986.24	-	4,986.24
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	584.49	-	584.49

झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड
सी.आई.एन.- यू40300डीएल2015जीओआई288311
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
सभी राशि भारतीय रूपया (सैकड़े) में दी गई हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए

प्राप्त की गई छूटें और अनिवार्य छूटें

इंड ए.एस. 101 'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाया जाना', प्रथम बार अपनाने वालों को इंड ए.एस. के तहत कतिपय अपेक्षाओं के पूर्वव्यापी अप्रयोग से कुछेक छूटें प्रदान करता है। इंड ए.एस. के तहत लागू वैकल्पिक छूटें और पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. से इंड ए.एस. में संक्रमण करने में लागू अनिवार्य छूटें नीचे उल्लिखित की गई हैं।

क) इंड ए.एस. वैकल्पिक छूटें

क.1 संपत्ति, प्लांट और उपकरण तथा निवेशी सम्पत्तियों के लिए वहन राशि को लागत समझा जाए।

इंड ए.एस. 101, पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी के अनुसार मूल्यांकित तथा संक्रमण की तारीख के अनुसार सरकारी अनुदान के पूंजीकरण की सीमा को छोड़कर संक्रमण की तारीख के अनुसार मानी गई लागत के रूप में उपयोग की गई उन राशि में जहां इंड ए.एस. में सक्रमण की तारीख को कार्यशील मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रथम बार इंड ए.एस. अपनाने वाले को इंड ए.एस. के संक्रमण की तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथा मान्यताप्राप्त इंड ए.एस. 40 के अनुसार परिभाषित इसकी सभी संपत्तियों, प्लांट और उपकरण तथा निवेशी सम्पत्तियों के लिए वहन राशि जारी रखने का चयन करने की अनुमति देता है।

तदनुसार, कंपनी ने संक्रमण की तारीख को अपनी सभी संपत्तियों, प्लांटों और उपकरणों (प्रगति पर पूंजीगत कार्य सहित) के लिए वहन राशि का उपयोग करने का चयन किया और इन्हें संक्रमण की तारीख को मानी गई लागत के रूप में प्राधिकृत किया।

ख) इंड ए.एस. अनिवार्य छूट

ख.1 लेखांकन अनुमान

इंड ए.एस. में संक्रमण की तारीख के अनुसार इंड ए.एस. के अनुसरण में किसी संस्था के अनुमान, उसी तारीख को पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को प्रतिबिंबित करने के समायोजन के पश्चात्) के अनुसरण में लगाए गए अनुमानों के अनुरूप होंगे जब कि कोई ऐसा ठोस साक्ष्य न हो कि वे अनुमान त्रुटिपूर्ण थे।

1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार इंड ए.एस. अनुमान उसी तारीख को पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. के अनुसरण में लगाए गए अनुमानों के अनुरूप हैं।

ख.2 वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं की गैर-मान्यता

इंड ए.एस. 101 में अपेक्षित है कि प्रथम बार अपनाने वाले द्वारा इंड ए.एस. में संक्रमण की तारीख को अथवा उसके पश्चात् हुए लेन-देनों के लिए उत्तरव्यापी प्रभाव से इंड ए.एस. 109 के गैरमान्यता संबंधी प्रावधानों को लागू किया जाए। तथापि, इंड ए.एस. 101 प्रथम बार अपनाने वाले को इंड ए.एस. 109 में गैर-मान्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से संस्थाय द्वारा चयनित किसी तारीख को लागू करने की अनुमति देता है वशर्ते कि किसी विगत लेन-देन के परिणामस्वरूप गैरमान्यता दी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए इंड ए.एस. 109 लागू करने के लिए अपेक्षित जानकारी उन लेन-देन के लिए आरम्भिक लेखांकन के समय प्राप्त कर ली गई हो।

कंपनी ने इंड ए.एस. में संक्रमण की तारीख से इंड ए.एस. 109 के गैरमान्यता संबंधी प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का चयन किया है।

ख.3 वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन

इंड ए.एस. 101 के अनुसार, किसी संस्था द्वारा संक्रमण की तारीख को विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय सम्पत्तियों के वर्गीकरण का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, मानक, संक्रमण की तारीख को विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर परिशोधित लागत पर लेखांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की अनुमति देते हैं यदि पूर्वव्यापी प्रभाव को लागू करना अव्यवहार्य हो।

तदनुसार, कंपनी ने संक्रमण की तारीख को विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण का निर्धारण किया है। परिशोधित लागत पर लेखांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूर्वव्यापी प्रभाव से, जहां ये व्यवहार्य नहीं है को छोड़कर, किया गया है।

26 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और ..... को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

निदेशक मंडल की ओर से उन्हीं के लिए

योगेश जुनेजा	**आलोक सूद**	**पी.के. सिंह**
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**
डी.आई.एन.:02912155	**डी.आई.एन.:02394376**	**डी.आई.एन.:03548218**

स्थानः नई दिल्ली

तारीख: